

an>

Title: Need to provide adequate compensation for injury and loss of human lives as well as damage to crops by wild animals in Kheri Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh.

श्री अजय मिश्रा देवी (खीरी) : उपाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थित है जिसके आसपास (लखीमपुर, खीरी) गांव बसे हैं तथा जंगल से लगी जमीन पर हजारों एकड़ भूमि पर कृषि होती है।

हाथियों आदि जंगली जानवरों द्वारा फसलों का जो नुकसान तथा जनहानि होती है उसके लिए वन विभाग द्वारा गन्ना की फसल पर 3000 रुपये प्रति एकड़, धान, गेहूं, तिलहन पर 2500 रुपये प्रति एकड़ तथा अन्य समस्त फसलों पर 1200 रुपये प्रति एकड़ एवं जंगली जानवरों द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु पर मात्र एक लाख रुपये, गंभीर घायल को 20,000 रुपये, साधारण घायल को 10,000 रुपये तथा जानवरों के मरने पर मात्र 2500 रुपये प्रति जानवर दिया जाता है, जो बेहद कम है।

किसानों की फसलों व जानमाल की सुरक्षा हेतु, पूर्व में जंगल के किनारे 2 मीटर चौड़ी व 3 मीटर गहरी खाई खोदी जाती थी, जिससे जंगली जानवर जंगल से बाहर नहीं आ पाते थे, परन्तु अब यह कार्य व्यवहार में नहीं लिया जाता है।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि गन्ना की फसल नुकसान पर 30,000 रुपये प्रति एकड़, धान, गेहूं व तिलहन पर 25,000 रुपये प्रति एकड़ तथा अन्य फसलों पर 20,000 रुपये प्रति एकड़ की तथा मानव मृत्यु पर 20 लाख रुपये, गंभीर घायल को 5 लाख रुपये, घायल को 1 लाख रुपये तथा जानवरों की मृत्यु पर बाजार कीमत के अनुसार मुआवजा दिया जाये तथा जंगल के सीमावर्ती क्षेत्र में 2 मीटर चौड़ी, 3 मीटर गहरी खाई खुदाई जाये, जिससे लोगों के जान-माल व फसलों की रक्षा हो सके तथा नुकसान की स्थिति में प्रभावी क्षतिपूर्ति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Ramesh Bidhuri – Not present.